कार्यालय– प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalfca.forest@uk.gov.in, nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 1572 / 12-1 :देहरादून:दिनांक: 05 नवम्बर, 2024

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं
जलवायु परितर्वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।

विषय :– जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड भैंसियाछाना के अन्तर्गत सल्ला–भाटकोट से सूकना सल्यूणी तक लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.78 है0 वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव सं0–FP/UK/ROAD/46712/2020)।

संदर्भ :– भारत सरकार का पत्र सं0 –8बी0/यू0सी0पी/06/123/2020/ एफ0सी0/1578 दिनांक–16.10.2020।

महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या चाही गयी है। उक्त के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 1810/12–1 दिनांक 13.11.2024 **(प्रति संलग्न)** के माध्यम से सूचना/आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :–

क्रम सं0	अधिरोपित	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	**शर्त सं0 –1** के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रस्तावक विभाग ने अवगत कराया गया है कि वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	**2 शर्त सं0 –2** के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रस्तावक विभाग ने अवगत कराया गया है कि परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि (निजी भूमि) का अधिकरण कर लिया गया है।
3	**प्रतिपूरक वनीकरणः– (क)** प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 7.5600 है0 अवनत वनभूमि द्वारसों क0सं0 02 पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें। **(ख)** वन मंडल अधिकरी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	**3 शर्त सं0 –3 <u>प्रतिपूरक वनीकरण</u>**– क– प्रमाण पत्र संलग्न है। ख– प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धरित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	**शर्त सं0 –4** के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रस्तावक विभाग ने अवगत कराया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि–25,49,111.00 (पच्चीस लाख उनपचास हजार एक सौ ग्यारह रुपया मात्र) उत्तरांचल कैंपा के पक्ष में चालान के माध्यम से कॉरपोरेशन बैंक में जमा कर दी गयी है चालान की प्रति संलग्न है।
5	**शुद्ध वर्तमान मूल्य**	**शर्त सं0–5 <u>शुद्ध वर्तमान मूल्य</u>**

	(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय WP (C) संख्या :202 / 1995 में IA नंबर 556 दिनांक–30. 10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008 24.04.2008 एवं 09.05. 2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1 / 1998–एफ0सी0 (Pt) दिनांक–18.09.2003, 5–2 / 2006–एफ0सी0 दिनांक–03.10.2006 एवं 5–3 / 2007–एफ0सी0, दिनांक–05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 2.565 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। **(ख)** विषेशज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ–पत्र प्रस्तुत करेगा।	**5 (क)** के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रस्तावक विभाग ने अवगत कराया गया है कि एन0पी0बी0 की धनराशि रु0–24,83,460.00 मात्र (चौबीस लाख तेरासी हजार चार सौ साठ रुपया) की धनराशि उत्तरांचल कैंपा के पक्ष में चालान के माध्यम से कॉरपोरेशन बैंक में जमा कर दी गयी है। चालान की प्रति संलग्न है। **5 (ख)** के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रस्तावक विभाग ने अवगत कराया गया है कि एन0पी0बी0 की बढ़ी हुई धनराशि जमा की जाने सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाणपत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 31 trees including 5 saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	**शर्त सं0–6** के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रस्तावक विभाग ने अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित 31 trees including 5 saplings से अधिक का पातन नहीं किया जायेगा पेड़ों की कटाई में आने वाले व्यय का वहन लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पार्टल https://parivesh.nic.in के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकारण फंड में स्थानांतरित / जमा किए जाऐंगे।	**शर्त सं0–7** के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रस्तावक विभाग ने अवगत कराया गया है कि परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धक और योजना प्राधिकरण फण्ड में जमा कर दिया गया है। चालान की प्रति संलग्न है।
8	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मापदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढाएगा।	**शर्त सं0 –8** के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रस्तावक विभाग ने अवगत कराया गया है कि आईआरसी मापदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढाए जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
9	State Govt. will inform this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2. The State Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	**शर्त सं0–9** के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रस्तावक विभाग ने अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
10	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	**शर्त सं0–10** के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रस्तावक विभाग ने अवगत कराया गया है कि एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण–पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रस्तावक अभिकरण सहमत है।
11	संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाऐंगे।	**शर्त सं0–11** के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रस्तावक विभाग ने अवगत कराया गया है कि संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों मे निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाये जायेंगे।
12	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के	**शर्त सं0–12** के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग ने

		दिनांक–29.1.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
21	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	**शर्त सं0–21** के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रस्तावक विभाग ने अवगत कराया गया है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर शर्तें लागू होंगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
22	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधें लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नजीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथासंभव रखने हेतु दीवारें बनाई जायेंगी। निस्थारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	**शर्त सं0–22** के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रस्तावक विभाग ने अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविदिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नजीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथास्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधान कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलुवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
23	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनिमम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	**शर्त सं0–23** के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रस्तावक विभाग ने अवगत कराया गया है कि यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/ अनुच्छेद/नियम /न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उसकी अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
24	अनुपालन में अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जायेगी।	**शर्त सं0–24** के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रस्तावक विभाग ने अवगत कराया गया है कि अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जायेगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के कम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 यथासंशोधित 2023 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत करने पर विचार करना चाहें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या– 1572 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा

E-mail:- csalmdfo@rediffmail.com Phone/Fax :- (05962) 230229

पत्रांक 1810 / 12-1 दिनांक, 13/11/ 2024 (288)

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
नोडल अधिकारी, वन संरक्षक,
इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कालोनी
उत्तराखण्ड, देहरादून।

1914
12-1
26-11-24

विषयः— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड भैंसियाछाना के अन्तर्गत सल्ला—भाटकोट से सूकना सल्यूणी तक लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.78 है0 वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव सं0—FP/UK/ROAD/46712/2020)।

सन्दर्भ— भारत सरकार का पत्र सं0 —8बी0 / यू0सी0पी / 06 / 123 / 2020 / एफ0सी0 / 1578 दिनांक—16.10.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं संदर्भित पत्र द्वारा जनपद अल्मोड़ा में भैंसियाछाना के सल्ला—भाटकोट से सूकना सल्यूणी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.78 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति के कुछ शर्तो के अधीन प्रदान की गयी है। अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 अल्मोडा ने अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है, जिसके क्रम में निम्नानुसार बिन्दुवार अनुपालन आख्या प्रेषित की जा रही है।

क्रम सं0	अधिरोपित	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	**शर्त सं0 —1** के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग ने अवगत कराया गया है कि वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	**2 शर्त सं0 —2** के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग ने अवगत कराया गया है कि परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि (निजी भूमि) का अधिकरण कर लिया गया है।
3	**प्रतिपूरक वनीकरणः—** (क) प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 7.5600 है0 अवनत वनभूमि द्वारसों क0सं0 02 पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें। (ख) वन मंडल अधिकरी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	**3 शर्त सं0 —3 प्रतिपूरक वनीकरण—** क— प्रमाण पत्र संलग्न है। ख— प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	**शर्त सं0 —4** के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग ने अवगत कराया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि—25,49,411.00 (पच्चीस लाख उनपचास हजार चार सौ ग्यारह रुपया मात्र) उत्तरांचल कैंपा के पक्ष में चालान के माध्यम से कॉरपोरेशन बैंक में जमा कर दी गयी है चालान की प्रति संलग्न है। शेष

प्रभारी अल्मोड़ा
आ0मो0मो0 ।

		शर्तें आपके विभाग से सम्बन्धित हैं।
5	शुद्ध वर्तमान मूल्य (क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय WP (C) संख्या :202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक–30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0 (Pt) दिनांक–18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक–03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0, दिनांक–05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 2.565 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। (ख) विषेशज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ–पत्र प्रस्तुत करेगा।	**शर्त सं0–5 <u>शुद्ध वर्तमान मूल्य</u>** **5 (क)** के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग ने अवगत कराया गया है कि एन0पी0बी0 की धनराशि रु0–24,83,460.00 मात्र (चौबीस लाख तेरासी हजार चार सौ साठ रुपया) की धनराशि उत्तरांचल कैंपा के पक्ष में चालान के माध्यम से कॉरपोरेशन बैंक में जमा कर दी गयी है। चालान की प्रति संलग्न है। **5 (ख)** के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग ने अवगत कराया गया है कि एन0पी0बी0 की बढ़ी हुई धनराशि जमा की जाने सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाणपत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 31 trees including 5 saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	**शर्त सं0–6** के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग ने अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित 31 trees including 5 saplings से अधिक का पातन नहीं किया जायेगा पेड़ों की कटाई में आने वाले व्यय का वहन लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पार्टल **https://parivesh.nic.in** के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकारण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाऐंगे।	**शर्त सं0–7** के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग ने अवगत कराया गया है कि परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धक और योजना प्राधिकरण फण्ड में जमा कर दिया गया है। चालान की प्रति संलग्न है।
8	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मापदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढाएगा।	**शर्त सं0 –8** के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग ने अवगत कराया गया है कि आईआरसी मापदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढाए जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
9	State Govt. will inform this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2. The State Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	**शर्त सं0–9** के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग ने अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
10	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	**शर्त सं0–10** के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग ने अवगत कराया गया है कि एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण–पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रस्तावक अभिकरण सहमत है।
11	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाऐंगे।	**शर्त सं0–11** के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग ने अवगत कराया गया है कि

		संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों मे निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाये जायेंगे।
12	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।	**शर्त सं0–12** के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग ने अवगत कराया गया है कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम–1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।
13	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	**शर्त सं0–13** के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग ने अवगत कराया गया है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान विभाग द्वारा नहीं बदला जायेगा।
14	वनभूमि पर कोई भी श्रमिक द्वारा शिविर स्थापित नही किया जाएगा।	**शर्त सं0–14** के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग ने अवगत कराया गया है कि वनभूमि पर कोई श्रमिक सिविर विभाग द्वारा स्थापित नहीं किये जायेंगे।
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	**शर्त सं0–15** के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग ने अवगत कराया गया है कि मजदूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी भी अन्य कानूनी स्त्रोतों से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
16	संबन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।	**शर्त सं0–16** के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग ने अवगत कराया गया है कि प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि का सीमांकन किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
17	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	**शर्त सं0–17** के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग ने अवगत कराया गया है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
18	वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	**शर्त सं0–18** के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग ने अवगत कराया गया है कि वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिदृष्टि प्रयोजनों के अतिरिक्त किसी भी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
19	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की ज.एगी।	**शर्त सं0–19** के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग ने अवगत कराया गया है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थितियों

		में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
20	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–FC ,दिनांक– 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	**शर्त सं0–20** के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग ने अवगत कराया गया है कि उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उलंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उलंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा–निर्देश फाइल सं0–11–42/2017–एफ0सी0 दिनांक–29.1.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
21	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	**शर्त सं0–21** के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग ने अवगत कराया गया है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर शर्तें लागू होंगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
22	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधें लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नजीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथासंभव रखने हेतु दीवारें बनाई जायेंगी। निस्थारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	**शर्त सं0–22** के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग ने अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविदिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नजीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथास्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधान कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलुवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
23	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनिमम/अनुच्छेद/ नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुगति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	**शर्त सं0–23** के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग ने अवगत कराया गया है कि यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/ अनुच्छेद/नियम /न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उसकी अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
24	अनुपालन में अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जायेगी।	**शर्त सं0–24** के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग ने अवगत कराया गया है कि अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जायेगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति निर्गत कराने हेतु अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा किजीएगा।

संलग्नः– मूल में 3 प्रति।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोडा।

पत्रांक 1810 / 12-1 दिनांकित

प्रतिलिपिः– वन संरक्षक उत्तरी कुमांऊ वृत्त उत्तराखण्ड अल्मोड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नः–मूल में एक प्रति।

प्रभागीय वनाधिकारी,
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग अल्मोड़ा।

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 1)

कार्य का नामः– जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड भैंसियाछाना के अन्तर्गत सल्ला–भाटकोट से सूकना सल्यूणी तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रस्ताव सं0– FP/UK/ROAD/46712/2020)

प्रमाणित किया जाता है प्रस्तावित कार्य हेतु अधिरोपित वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 2)

कार्य का नामः– जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड भैंसियाछाना के अन्तर्गत सल्ला–भाटकोट से सूकना सल्यूणी तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रस्ताव सं0– FP/UK/ROAD/46712/2020)

प्रमाणित किया जाता है प्रस्तावित परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि (निजी भूमि) का अधिकरण कर लिया गया है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

बिन्दु सं० ③

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड भैंसियाछाना के अन्तर्गत सल्ला–भाटकोट से सूकना सल्यूणी तक लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण (3.78 है0) (प्रस्ताव सं0–FP/UK/ROAD/46712/2020) में सैद्वान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 3(क) के अनुपालन मे सी0ए0 क्षेत्र 7.56 है0 अवनत वनभूमि द्वारसौं क0सं0 2 (रानीखेत राजि) में जहां तक व्यावहारिक हो स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों के वृक्षों का मिश्रित वृक्षारोपण किया जायेगा।

वन क्षेत्राधिकारी
रानीखेत,
वन प्रभाग अल्मोड़ा

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा।

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड भैंसियाछाना के अन्तर्गत सल्ला–भाटकोट से सूकना सल्यूणी तक लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण (3.78 है0) (प्रस्ताव सं0–FP/UK/ROAD/46712/2020) में सैद्वान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 3(ख) के अनुपालन मे सी0ए0 क्षेत्र 7.56 है0 अवनत वनभूमि द्वारसौं क0सं0 2 (रानीखेत राजि) में पूर्व में किसी भी योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं कराया गया है।

वन क्षेत्राधिकारी रानीखेत
वन प्रभाग अल्मोड़ा,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा।

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 4)

कार्य का नामः– जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड भैंसियाछाना के अन्तर्गत सल्ला–भाटकोट से सूकना सल्यूणी तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रस्ताव सं0– FP/UK/ROAD/46712/2020)

प्रमाणित किया जाता है प्रस्तावित मोटर मार्ग हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु धनराशि–25,49,411.00 (पच्चीस लाख उनपचास हजार चार सौ ग्यारह रुपया मात्र) की धनराशि उत्तरांचल कैंपा के पक्ष में चालान के माध्यम से कॉरपोरेशन बैंक में जमा कर दी गयी है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 5 क)

कार्य का नामः– जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड भैंसियाछाना के अन्तर्गत सल्ला–भाटकोट से सूकना सल्यूणी तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रस्ताव सं0– FP/UK/ROAD/46712/2020)

प्रमाणित किया जाता है प्रस्तावित मोटर मार्ग हेतु एन0पी0बी0 की धनराशि रु0–24,83,460.00 मात्र (चौबीस लाख तेरासी हजार चार सौ साठ रुपया) की धनराशि उत्तरांचल कैंपा के पक्ष में चालान के माध्यम से कॉरपोरेशन बैंक में जमा कर दी गयी है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

बिन्दु- 4 एवं 5

							On Transaction Date: 01 Nov 2021	
6	FP/UK/ROAD/9220/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/9220/2015) Chitai Pant-Haridatt petshali Inter college motor road till Petshal	ROAD92202015061	6192200061	17 Nov 2020	CA: 1645458/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 1602259/-, Other Charges: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 3247717/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On: 16 Mar 2021 Bank Name: Corporation Bank Mode of Payment: Corporation Bank (Challan) Challan Generated On: 16 Mar 2021 Transaction Date: 06 Apr 2021	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/3111512371211Y1KZOscan0027.pdf) Generated Challan (../UserAccount/GenerateChallanCorp.aspx?pid=ROAD92202015061)
7	FP/UK/ROAD/38048/2019 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/38048/2019) C/o Naugaon to Kanarichhina Motor road distt almora	ROAD380482019244	6138048244	30 Sep 2020	CA: 928605/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 904689/-, Other Charges: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 1833294/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On: 12 Jan 2021 Bank Name: Corporation Bank Mode of Payment: Corporation Bank (Challan) Challan Generated On: 14 Jan 2021 Transaction Date: 23 Mar 2021	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/11111123712122TD0Qscan0011.pdf) Generated Challan (../UserAccount/GenerateChallanCorp.aspx?pid=ROAD380482019244)
8	FP/UK/ROAD/46712/2020 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/46712/2020) C/o Sall Bhatkote to Sukna Salyudi Motor Road	ROAD467122020949	6146712949	16 Oct 2020	CA: 2549111/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 2483460/-, Other Charges: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 5032571/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On: 12 Jan 2021 Bank Name: Corporation Bank Mode of Payment: Corporation Bank (Challan) Challan Generated On: 14 Jan 2021 Transaction Date: 23 Mar 2021	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/1111112381212SL0QNscan0012.pdf) Generated Challan (../UserAccount/GenerateChallanCorp.aspx?pid=ROAD467122020949)

30-11-24
अधिशासी अभियन्ता
ग्रामीण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

<u>वचनबद्धता प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 5 ख)</u>

कार्य का नामः— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड भैंसियाछाना के अन्तर्गत सल्ला—भाटकोट से सूकना सल्यूणी तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रस्ताव सं0— FP/UK/ROAD/46712/2020)

प्रमाणित किया जाता है कि एन0पी0वी की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि विभाग द्वारा जमा की जायेगी।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 6)

कार्य का नामः– जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड भैंसियाछाना के अन्तर्गत सल्ला–भाटकोट से सूकना सल्यूणी तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रस्ताव सं0– FP/UK/ROAD/46712/2020)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग हेतु 31 trees including 5 saplings से अधिक का पातन नहीं किया जायेगा, पेड़ों की कटाई में आने वाले व्यय का वहन लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 7)

कार्य का नामः– जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड भैंसियाछाना के अन्तर्गत सल्ला–भाटकोट से सूकना सल्यूणी तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रस्ताव सं0– FP/UK/ROAD/46712/2020)

परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धक और योजना प्राधिकरण फण्ड में जमा कर दिया गया है (चालान की प्रति संलग्न)।

अमीन	कनिष्ठ अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,	निर्माण खण्ड,	निर्माण खण्ड,	निर्माण खण्ड,
लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 8)

कार्य का नामः— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड भैंसियाछाना के अन्तर्गत सल्ला—भाटकोट से सूकना सल्यूणी तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रस्ताव सं0— FP/UK/ROAD/46712/2020)

प्रमाणित किया जाता है कि आईआरसी मापदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढाए जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 9)

कार्य का नामः— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड भैंसियाछाना के अन्तर्गत सल्ला—भाटकोट से सूकना सल्यूणी तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रस्ताव सं0— FP/UK/ROAD/46712/2020)

प्रमाणित किया जाता है उक्त बिन्दु में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किये जाने हेतु प्रयोक्त अभिकरण सहमत है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 10)

कार्य का नामः— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड भैंसियाछाना के अन्तर्गत सल्ला—भाटकोट से सूकना सल्यूणी तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रस्ताव सं0— FP/UK/ROAD/46712/2020)

प्रमाणित किया जाता है कि एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण—पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रस्तावक अभिकरण सहमत है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 11)

कार्य का नामः— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड भैंसियाछाना के अन्तर्गत सल्ला—भाटकोट से सूकना सल्यूणी तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रस्ताव सं0— FP/UK/ROAD/46712/2020)

प्रमाणित किया जाता है उक्त परियोजना हेतु संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों मे निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाये जाने हेतु विभाग सहमत है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 12)

कार्य का नामः— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड भैंसियाछाना के अन्तर्गत सल्ला—भाटकोट से सूकना सल्यूणी तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रस्ताव सं0— FP/UK/ROAD/46712/2020)

प्रमाणित किया जाता है पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम—1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करने हेतु विभाग सहमत है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 13)

कार्य का नामः– जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड भैंसियाछाना के अन्तर्गत सल्ला–भाटकोट से सूकना सल्यूणी तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रस्ताव सं0– FP/UK/ROAD/46712/2020)

प्रमाणित किया जाता है केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान विभाग द्वारा नहीं बदला जायेगा।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 14)

कार्य का नामः— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड भैंसियाछाना के अन्तर्गत सल्ला—भाटकोट से सूकना सल्यूणी तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रस्ताव सं0— FP/UK/ROAD/46712/2020)

प्रमाणित किया जाता है वनभूमि पर कोई श्रमिक सिविर विभाग द्वारा स्थापित नहीं किये जायेंगे।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 15)

कार्य का नाम:-- जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड भैंसियाछाना के अन्तर्गत सल्ला–भाटकोट से सूकना सल्यूणी तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रस्ताव सं0– FP/UK/ROAD/46712/2020)

प्रमाणित किया जाता है कि मजदूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोतों से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 16)

कार्य का नामः— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड भैंसियाछाना के अन्तर्गत सल्ला—भाटकोट से सूकना सल्यूणी तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रस्ताव सं0— FP/UK/ROAD/46712/2020)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि का सीमांकन किये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभि निर्माण खण्ड लो0नि0वि0, अ

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 17)

कार्य का नामः– जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड भैंसियाछाना के अन्तर्गत सल्ला–भाटकोट से सूकना सल्यूणी तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रस्ताव सं0– FP/UK/ROAD/46712/2020)

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 18)

कार्य का नाम:– जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड भैंसियाछाना के अन्तर्गत सल्ला–भाटकोट से सूकना सल्यूणी तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रस्ताव सं0– FP/UK/ROAD/46712/2020)

प्रमाणित किया जाता है कि वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिदृष्टि प्रयोजनों के अतिरिक्त किसी भी प्रयोजन हेतु नहीं किये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 19)

कार्य का नामः— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड भैंसियाछाना के अन्तर्गत सल्ला–भाटकोट से सूकना सल्यूणी तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रस्ताव सं0— FP/UK/ROAD/46712/2020)।

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थितियों में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित न किये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 20)

कार्य का नामः— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड भैंसियाछाना के अन्तर्गत सल्ला—भाटकोट से सूकना सल्यूणी तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रस्ताव सं0— FP/UK/ROAD/46712/2020)।

प्रमाणित किया जाता है कि अधिरोपित किसी भी शर्त का उलंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उलंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा—निर्देश फाइल सं0—11—42/2017—एफ0सी0 दिनांक—29.1.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 21)

कार्य का नामः— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड भैंसियाछाना के अन्तर्गत सल्ला—भाटकोट से सूकना सल्यूणी तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रस्ताव सं0— **FP/UK/ROAD/46712/2020**)।

प्रमाणित किया जाता है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय—समय पर शर्तें लागू होंगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 22)

कार्य का नामः– जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड भैंसियाछाना के अन्तर्गत सल्ला–भाटकोट से सूकना सल्यूणी तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रस्ताव सं0– FP/UK/ROAD/46712/2020)।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविदिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नजीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथास्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधान कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलुवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 23)

कार्य का नामः– जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड भैंसियाछाना के अन्तर्गत सल्ला–भाटकोट से सूकना सल्यूणी तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रस्ताव सं0– FP/UK/ROAD/46712/2020)।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उसकी अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 24)

कार्य का नामः— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड भैंसियाछाना के अन्तर्गत सल्ला—भाटकोट से सूकना सल्यूणी तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रस्ताव सं0— **FP/UK/ROAD/46712/2020**)।

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना की अनुपालना रिपोर्ट ई—पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जायेगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण संहमत है।

अमीन	कनिष्ठ अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,	निर्माण खण्ड,	निर्माण खण्ड,	निर्माण खण्ड,
लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	लो0नि0वि0, अल्मोड़ा